


२५.०८.२५ पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित।

वकील प्रार्थी द्वारा बार-बार अपसर देने के बाद भी अग्रार्थीगण का मोटिस तलवाना पेश नहीं किया गया है एवं ना ही अग्रार्थीगण की तलबी कटवाई करवाई गई है। वकील प्रार्थी द्वारा आदेश - १ निपम - ५ CPC के प्राधान्य की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र तलबी के अभाव में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर है। निर्णय लिखाया जाकर तुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(सुनीलकुमार चौधन)  
R.A.S.